न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : **125/18 (प्रा0पत्र)**

GCMS No. : 2018/00413

अनवान्

1. श्री दशरथ पिता हरिशचन्द्र त्रिपाठी निवासी मावली गांव तहसील मावली।
2. श्री बंटी पिता हरिशचन्द्र त्रिपाठी निवासी मावली गांव तहसील मावली।

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती शर्मिला कुंवर पत्नी पूरणसिंह राव निवासी मावली तहसील मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का मावली तहसील मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

..................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री सोहनसिंह राणावत, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक :— 28.05.2025

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा मावली तहसील मावली की आराजी नम्बर 1394 रकबा 10 बिस्वा, 1402 रकबा 1 बीघा, 1411 रकबा 2 बिस्वा मकान, 1425 रकबा 15 बिस्वा, 1518 रकबा 14 बिस्वा किता 5 कुल रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा है जो वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर 1/4 व अन्य के नाम पर हिस्सानुसार संयुक्त रूप से दर्ज हैं। खातेदार भंवरलाल त्रिपाठी व श्यामलाल उर्फ श्यामसुन्दर का स्वर्गवास हो चुका है उक्त आराजीयात पर सदीप से अर्थात् विगत 70 से अधिक वर्षों से लगातार निरन्तर हम प्रार्थीगण व अन्य परिवारजन के उपयोग उपभोग में हमारे पूर्वजो के समय से बिना किसी बाधा के चली आ रही है और हमारे ही उपयोग उपभोग में हो कब्जे काश्त में संयुक्त रूप से है और मौके पर उक्त भूमि का हमारे मध्य विधिक रूप से बंटवारा नहीं हुआ हैं।
2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात पैतृक कृषि भूमि है और पूर्व में हमारे दादाजी स्व. जगन्नाथ जी त्रिपाठी के नाम पर अंकित थी और उनके स्वर्गवास पश्चात् हमारे पिताजी स्वत्र हरिशचन्द्र के नाम पर 1/4 हि[illegible] अंकित हुई। उक्त वर्णित आराजीयात पैतृक भूमि है और विगत 70 [illegible] व हमारे अन्य परिवारजन के कब्जे काश्त में हिस्सानुसार हो उपयोग उपभोग में आ रही है और ह[illegible]र्थीगण को उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:20 IST
Reason: SelfAttested

पैतृक भूमि में जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। हमारे पिताजी हरिशचन्द्रजी त्रिपाठी का स्वर्गवास हो चुका है जिनके विधिक वारिस हम प्रार्थीगण हैं।

3. यह कि उक्त आराजीयात पैतृक भूमि है और हम प्रार्थीगण को जन्म से ही उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है परन्तु विपक्षी संख्या 1 के पति पूरणसिंह राव ने हम प्रार्थीगण के पिताजी स्व. हरिशचन्द्र त्रिपाठी को बहला फुसलाकर उक्त भूमि में से उनके नाम पर अंकित 1/4 हिस्सा भूमि का पंजीयन अपनी पत्नी श्रीमती शर्मिला राव के नाम पर करवा लिया जबकि इनको अच्छी तरह से पता था कि उक्त भूमि पैतृक सम्पति है और हम प्रार्थीगण को जन्म से ही उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है और हमारे पिताजी को भी यह बात पता थी कि उक्त पैतृक भूमि में हम प्रार्थीगण का भी हक व हिस्सा है फिर भी इन्होने उक्त पैतृक भूमि को अपने नाम पर अंकित होने का नाजायज लाभ उठाकर विपक्षी संख्या 1 को विक्रय कर दी जो विक्रय पत्र हम प्रार्थीगण के मुकाबले में शून्य व बैअसर हैं। उक्त आराजीयात में हमारे स्व. पिताजी हरिशचन्द्र जी का 1/4 हिस्सा था जिस अनुसार हम प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा बनता है जिस हिस्सा भूमि के मौके पर हम काबिज है। मृतक हरिशचन्द्र जी को उक्त आराजीयात में मात्र 1/12 हिस्सा विक्रय करने का अधिकार था और उन्होने अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय कर दिया जो विक्रय पत्र हमारे मुकाबले में शून्य व बेअसर है और विपक्षी संख्या 1 उक्त विक्रय पत्र की आड में आराजी विशेष भूमि 1425 रकबा 15 बिस्वा पर जबरन कब्जा करना चाहता है जिसका इसे कोई विधिक अधिकार नहीं हैं।

4. यह कि उक्त वर्णित भूमि में विपक्षी संख्या 1 श्रीमती शर्मिला के नाम पर 1/4 हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित है परन्तु विपक्षी संख्या 1 श्रीमती शर्मिला की नियत में फितुर उत्पन्न हो जाने से विपक्षी संख्या 1 उक्त वर्णित भूमि में से इनके नाम पर अंकित 1/4 हिस्सा भूमि की आड में आराजी विशेष भूमि आराजी नम्बर 1425 रकबा 15 बिस्वा पर कब्जा करने पर उतारू है और आबादी में कन्वर्ट करवाकर उक्त भूमि पर निर्माण कार्य करवाने पर आमादा है जबकि उक्त भूमि का सभी खातेदारान में विधिक रूप से बंटवारा नहीं हुआ है और जब तक उक्त पैतृक भूमि का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक उक्त सम्पूर्ण भूमि के प्रत्येक इंच भूमि पर सभी सह खातेदारान का समान रूप से हक हिस्सा व अधिकार है व किसी भी खातेदारान को किसी भी आराजी विशेष भूमि पर कब्जा करने व उपयोग उपभोग करने का कोई अधिकार नहीं है परन्तु विपक्षी संख्या 1 उक्त अपने 1/4 हिस्सा की आड में आराजी विशेष भूमि आराजी नम्बर 1425 रकबा 15 बिस्वा पर बिना वैध्य अधिकार के जबरन ताकत के बल पर कब्जा करना चाह रहे है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:20 IST
Reason: SelfAttested

और निर्माण कार्य करवाने पर आमादा है जिसको जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

5. यह कि प्रार्थीगण का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात मौरूसी जायदाद है और हमारे पिताजी को उक्त भूमि में से अपने नाम पर अंकित 1/4 हिस्सा भूमि को विक्रय करने का विधिक अधिकार ही नहीं था क्योंकि उनको उक्त पैतृक भूमि में से मात्र 1/12 हिस्सा भूमि ही विक्रय करने का अधिकार था क्योंकि हम प्रार्थीगण को जन्म से ही उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है और हमारे हिस्से की जमीन पर हमारा कब्जा है, सुविधा संतुलन भी हमारे पक्ष में है क्योंकि हम प्रार्थीगण उक्त पैतृक भूमि में विपक्षीगण की जानकारी में अपने हिस्से की भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है और हमारे ही कब्जे काश्त में है और यदि विपक्षी संख्या 1 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में इनके नाम 1/4 हिस्सा भूमि अंकन होने का नाजायज लाभ उठाकर बिना विधिक रूप से बंटवारा करवाये आराजी विशेष भूमि आराजी नम्बर 1425 रकबा 15 बिस्वा पर कब्जा कर लेगे, निर्माण करवा लेगे तो मौके पर विवाद बढेगा मुकदमेबाजी होगी और हम प्रार्थीगण उक्त पैतृक भूमि में से हमारे हिस्से की भूमि से वंचित हो जावेगे और इससे जो क्षति हम प्रार्थीगण को होगी उसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में किया जाना असंभव है और अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षी संख्या 1 को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी।

6. यह कि हम प्रार्थीगण को विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 25.08.2018 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 उक्त वर्णित भूमि में से आराजी विशेष भूमि आराजी नम्बर 1425 पर जबरन कब्जा करने पर उतारू हुई और बिना बंटवारा करवाये निर्माण कार्य करने पर आमादा है और हम प्रार्थीगण को मौके से ताकत के बल पर बेदखल करने पर उतारू हुए उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

7. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में से अपने नाम अंकित 1/4 हिस्सा भूमि का नाजायज लाभ उठाकर आराजी विशेष भूमि आराजी नम्बर 1425 रकबा 15 बिस्वा पर बिना बंटवारा करवाये कब्जा नहीं करे, न आबादी में संपरिवर्तन करवावे, न निर्माण कार्य करवावे, न किसी अन्य को विक्रय रहन बक्षीस करे एवं राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे और विपक्षी संख्या 3 पटवारी, पटवार हल्का मावली उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में ताफैसला वाद किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे और राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे और हम प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे न मौके से बेदखल करे और हम प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक उक्त हमारे हिस्से की 1/12 हिस्सा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Runadia
Date: 2025.08.22 16:56:20 IST
Reason: SelfAttested

का उपयोग उपभोग करने देवे इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन आदि से करवावें।

8. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं।

9. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपनी क्रयसुदा भूमि बताकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज है। प्रकरण में प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को पैतृक सम्पति होना बताकर घोषणा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। चूंकि प्रकरण में विपक्षी सं. 1 खातेदार काश्तकार है एवं खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग—उपभोग करने का पुरा—पुरा अधिकार है, ऐसी स्थिति में खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा नही दी जा सकती है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन* — चूंकि वाद वर्णित भूमि के खातेदार विपक्षी सं. 1 है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित हुआ हैं। यदि खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे खातेदार को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध में निर्णित किया जाता है।

3. *अपूरणीय क्षति—* चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार विपक्षी सं. 1 है। खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:20 IST
Reason: SelfAttested

11. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वाद वर्णित भूमि मौजा मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की खाता संख्या 556 पर दर्ज आराजी नम्बर 1394, 1402, 1411, 1425, 1518 किता 5 कुल रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी पैतृक सम्पति होना बताकर घोषणा का वाद प्रस्तुत कर उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थीगण वर्तमान में उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पति हो। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह प्रतीत होता हो कि वादग्रस्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 ने क्रय किया हो। वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 खातेदार होने से खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग–उपभोग का पुरा अधिकार था। प्रकरण में खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी तथा खातेदार को असुविधा का सामना करना पडेगा। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये गये है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:20 IST
Reason: SelfAttested